रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर-IV, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सतर्कता प्रभाग

सं. आरईसी/सतर्कता/II(150)/97/378 **दिनांक 13 सितम्बर, 2001**

परिपत्र सं. 6/2001

विषय: अचल और चल सम्पत्ति विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करना

उपर्युक्त विषय पर सतर्कता प्रभाग के परिपत्र सं. 1/2001, दिनांक 05.02.2001 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत करते समय पूरा ब्यौरा देने की सलाह दी गई थी। अनुपालन हेतु आरईसी (सीडीए) नियम 1979 के नियम 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते समय यह भी सूचित किया गया था कि उपर्युक्त नियम का अनुपालन न करने तथा निर्धारित समयावधि के अंदर उचित ढंग से वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत न करने को आरईसी (सीडीए) नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है ।

उपर्युक्त सलाह दिए जाने के बावजूद, यह देखा गया है कि अनेक कर्मचारियों ने अभी तक अपनी सम्पत्ति रिटर्न प्रस्तुत/पूरी नहीं की है तथा उनकी वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (रिटर्न) के पूरे रिकार्ड के बिना सतर्कता अनुमति के मामले प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी संबंधितों के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि सतर्कता अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (रिटर्न) तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का रिकार्ड पूरा नहीं हो जाता ।

ह0/-
(वी.के.शर्मा)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के सहायक निदेशक
2. निदेशक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक, आरईसी के सहायक निदेशक
3. सभी महाप्रबंधक/मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
4. अपर निदेशक, सायर, आरईसी हैदराबाद
5. सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय
6. सभी संयुक्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
7. मास्टर फाइल/फोल्डर कार्यालय प्रति